मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

लॉकडाउन 4.0 के उपाय
31 मई, 2020 तक रहेंगे मान्य

#IndiaFightsCorona

25 मार्च, 2020 से लॉकडाउन के उपायों से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में मदद मिली

इसलिए, लॉकडाउन को 31 मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है

दिनांक: 18 मई, 2020

my GOV
मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0
राज्य तय करेंगे विभिन्न ज़ोन (1/2)

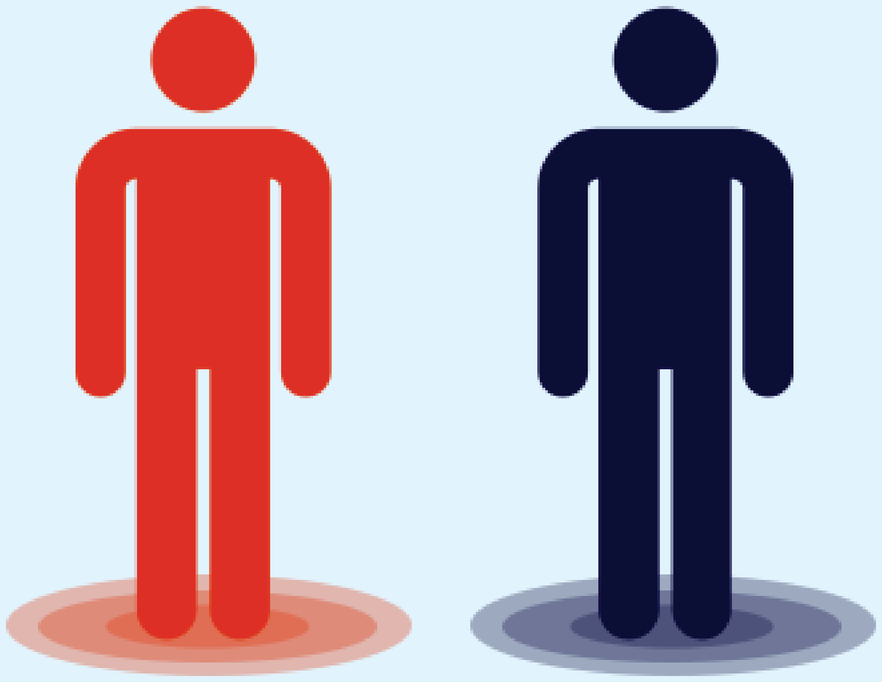

#IndiaFightsCorona

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का सीमांकन करेंगे

ज़ोन एक जिला / नगर निगम / नगर पालिका या यहां तक कि इससे भी छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे सब-डिवीजन में भी हो सकते हैं

दिनांक: 18 मई, 2020

मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

राज्य तय करेंगे विभिन्न ज़ोन (2/2)

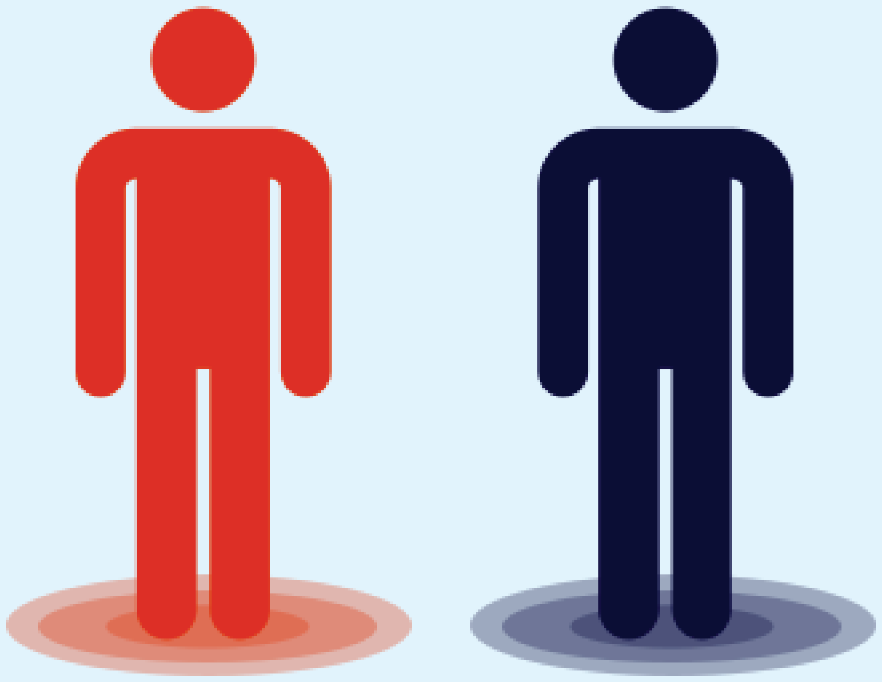

#IndiaFightsCorona

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिला प्रशासन / स्थानीय शहरी निकायों द्वारा कंटेनर और बफर ज़ोन की पहचान की जाएगी

कंटेनर ज़ोन के भीतर सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा, चिकित्सा आपात स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के अलावा यहां लोगों की

बफर ज़ोन प्रत्येक कंटेनमेंट ज़ोन से सटे हुए ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कोविड के नए मामले सामने आने की अधिक संभावना है

बफर ज़ोन में कहीं अधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है

दिनांक: 18 मई, 2020

my GOV
मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

इस दौरान पूरे देश में ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित (1/2)

- घरेलू चिकित्सा सेवाओं, एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं

- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान चलाना

- बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर कैंटीन चलाने को छोड़ कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं

- मेट्रो रेल सेवाएं

दिनांक: 18 मई, 2020

my GOV
मेरी सरकार

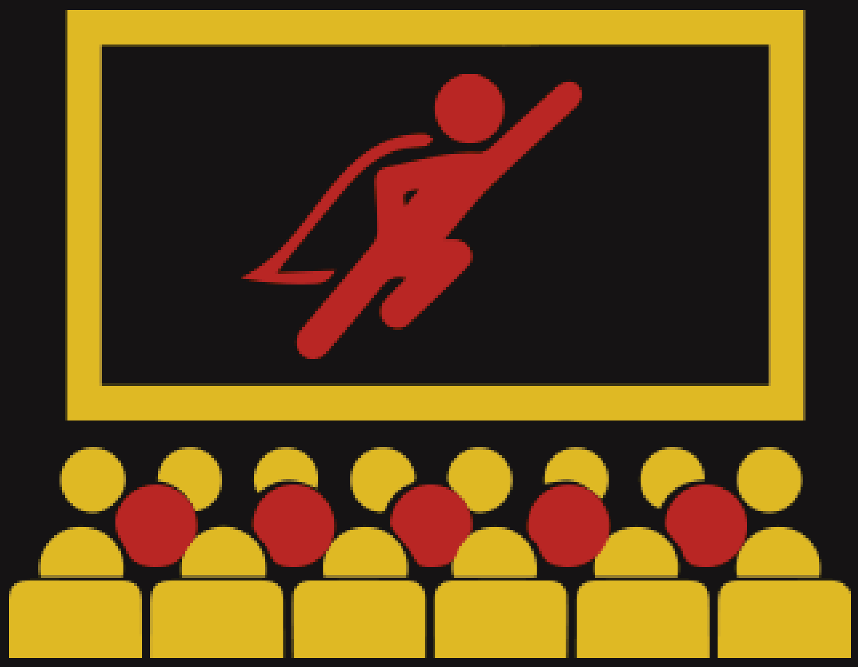

लॉकडाउन 4.0

इस दौरान पूरे देश में ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित (2/2)

- शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों, मनोरंजन पार्क, व्यायामशाला और स्विमिंग पूल आदि जैसे बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के स्थान
- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्य सभाएं और अन्य बड़े समागम;
- धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक जनता की पहुंच
- धार्मिक समागम व सभाओं पर सख्त प्रतिबंध रहेगा

दिनांक: 18 मई, 2020

मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

पूरे देश में इन गतिविधियों की अनुमति

* कंटेनमेंट जोनों में अत्यधिक प्रतिबंध लागू होंगे

ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा

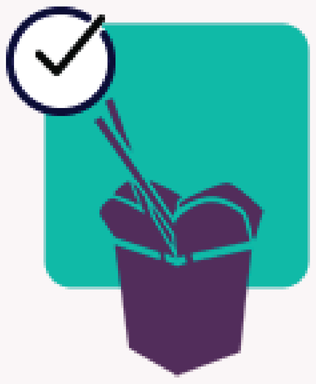

रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति

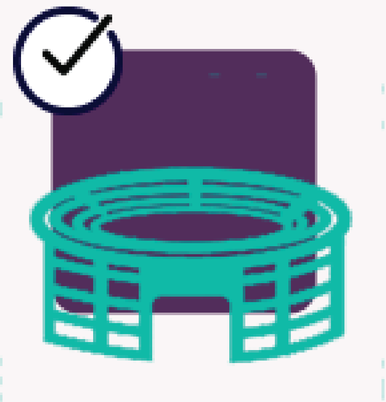

खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति

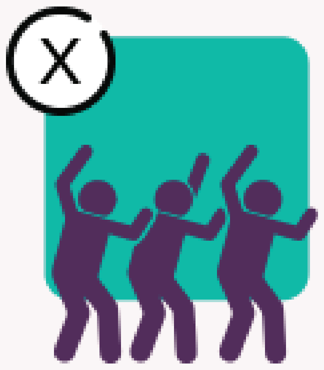

हालांकि, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी

दिनांक: 18 मई, 2020

मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों की अनुमति

* कंटेनमेंट जोनों में अत्यधिक प्रतिबंध लागू होंगे

व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों को अनुमति

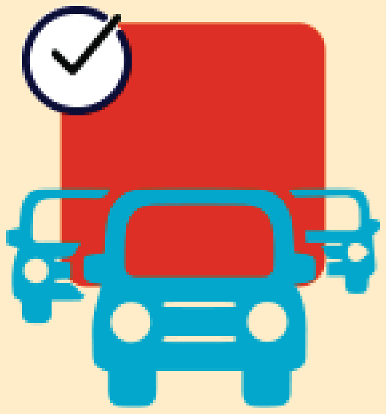

संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी सहमति से वाहनों और बसों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति दी गई

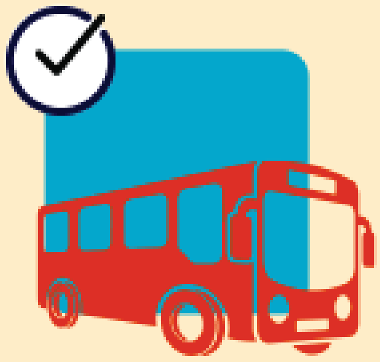

वाहनों और बसों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने का निर्णय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लिया जाएगा

दिनांक: 18 मई, 2020

myGOV
मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0
फंसे व्यक्तियों के लिए विशेष उपाय

#IndiaFightsCorona

- श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और अन्य स्पेशल ट्रेनों द्वारा व्यक्तियों का आवागमन
- भारत से विदेशी नागरिकों को भेजने
- विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी
- भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ

दिनांक: 18 मई, 2020

myGOV मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

सार्वजनिक स्थलों के लिए राष्ट्रीय निर्देश (1/3)

- फेस कवर पहनना अनिवार्य है
- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार थूकना जुर्माने सहित
- सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा
- विवाह से संबंधित समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे
- अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को जाने की अनुमति
- सार्वजनिक स्थलों में शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी

दिनांक: 18 मई, 2020

मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय निर्देश (2/3)

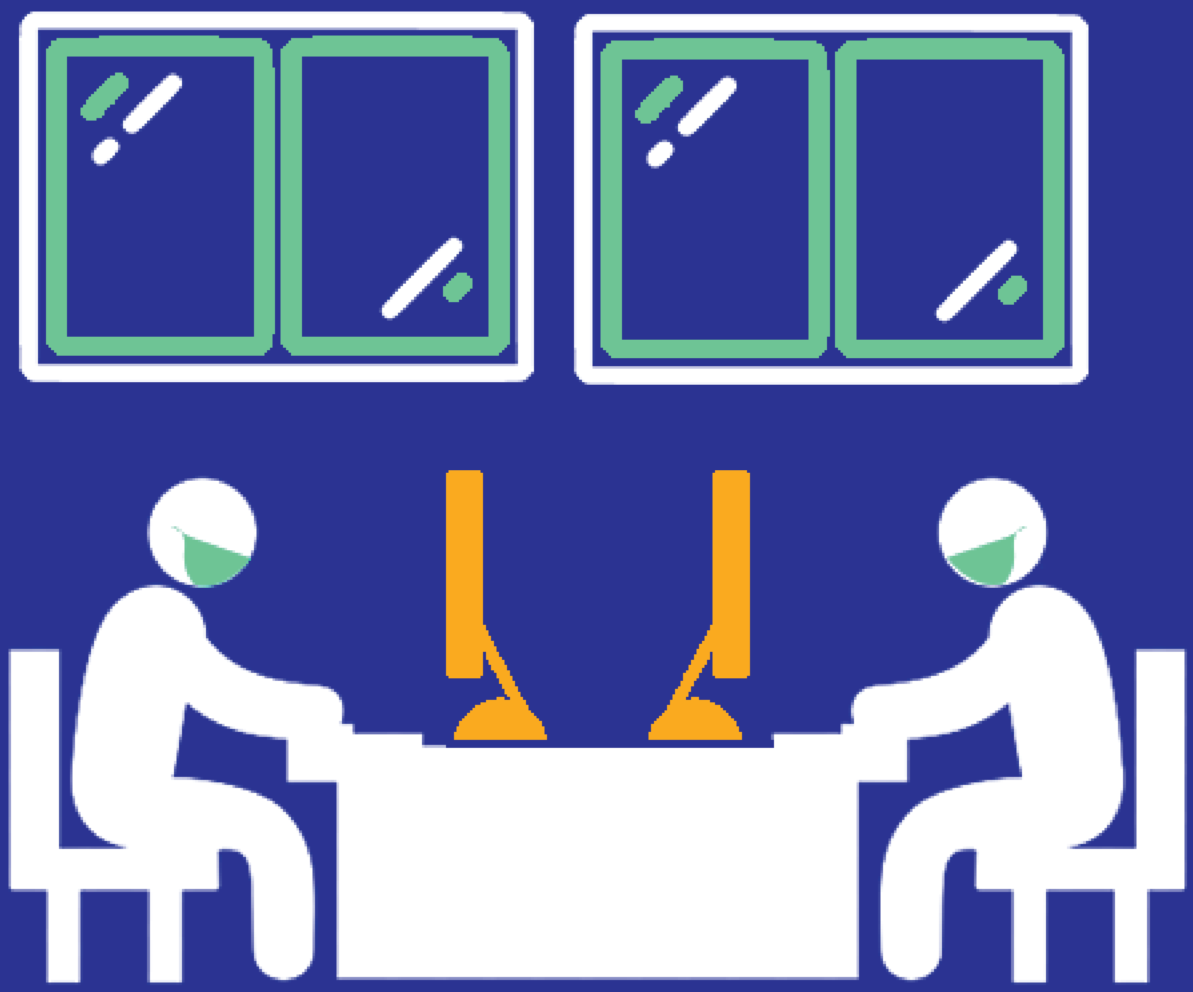

- जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम (WFH) की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए
- सभी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम के अलग-अलग घंटे अपनाए जाने चाहिए
- सभी प्रवेश और निकास स्थलों और कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी
- सभी कार्यस्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को नियमित रूप से सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए
- कार्यस्थलों में कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतर, कर्मचारियों के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी

दिनांक: 18 मई, 2020

myGOV
मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

दुकानों और बाजारों के लिए राष्ट्रीय निर्देश (3/3)

* कंटेनमेंट जोनों में अत्यधिक प्रतिबंध लागू होंगे

स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें

सभी दुकानों को भी ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी

एक समय में 5 से ज्यादा लोगों पर रोक लगानी होगी

दिनांक: 18 मई, 2020

मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

रात का कर्फ्यू और कमजोर लोगों की सुरक्षा

#IndiaFightsCorona

गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा

सख्त अनुपालन के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा उचित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाएंगें

आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, कमजोर व्यक्ति, अर्थात 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग, अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों के भीतर ही रहना होगा

दिनांक: 18 मई, 2020

मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

विभिन्न ज़ोनों के अंदर की गतिविधियों पर राज्य लेंगे निर्णय

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्थिति के आकलन के आधार पर

- विभिन्न ज़ोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या
- आवश्यक समझे जाने वाले प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारें लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करेंगी

वे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशा- निर्देशों को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगी

दिनांक: 18 मई, 2020

मेरी सरकार

लॉकडाउन 4.0

आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग

#IndiaFightsCorona

आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या जिनसे संक्रमित होने का खतरा है उनकी त्वरित पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है

सर्वोत्तम प्रयास के रूप में नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा इस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किया जाए और उनके द्वारा नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को अपडेट किया जाए

इससे उन लोगों के लिए पर समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जो खतरे में हैं

जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे लोगों को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को अपडेट करने की सलाह दें

दिनांक: 18 मई, 2020